न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल न्यायालय कैम्प सागर

R - 2910 - III/13

बाबूलाल जैन तनय स्व. श्री कडोरे लाल जैन
निवासी सिविल लाइन टीकमगढ ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म. प्र. शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर टीकमगढ के आदेश दिनांक 25/3/13 से परिवेदित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि टीकमगढ स्थित भूमि खसरा क्र 525/3 के क्षेत्रफल 19066 वर्गफीट के डार्यवर्सन हेतु निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर दिनांक 29/9/07 को अपना आदेश पारित किया गया जिसमें भू भाटक का गलत निर्धारण किए जाने के कारण निगरानीकर्ता द्वारा एक अपील श्रीमान् कलेक्टर टीकमगढ के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे श्रीमान् कलेक्टर द्वारा विधि विरूद्व रूप से निरस्त कर दिया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष सशक्त आधारों पर प्रस्तुत है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत रूप से उपयोग करते हुए अपना विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय को इस बात को मानना चाहिए था कि भू भाटक का निर्धारण भूमि के डार्यवर्सन होने के आदेश के उपरांत ही किया जाना चाहिए था ना कि वर्ष 1998-99 से अधिरोपित किया जाना था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के वर्ष 1998-99 से भू भाटक का निर्धारण करने का जो आदेश पारित किया वह पूर्णतः म. प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 172 के प्रावधानों के पूर्णतः विपरीत है तथा उक्त कारण से कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2910—तीन/2013 जिला टीकमगढ़

बाबूलाल जैन विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08—03—2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 30/अपील/2008—09 में पारित आदेश दिनांक 25—3—2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06—05—2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 08/3/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	